राजस्व वाद संख्या 36 / 2025
GCMS NO. 2025 / 176
करणीराम वगै0 बनाम झुथाराम वगै0
आदेश दिनांक 19.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 36 / 2025
GCMS No. 2025 / 176
1. करणीराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. इन्दिरा पत्नी करणीराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

1. झुंथाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
2. देवकरणसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
3. भूराराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
4. सत्यवीरसिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लुट्टू जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनू।

अनावेदकगण

वकील वादी – श्री जयसिंह गौड़
वकील प्रतिवादी – रजिया बानो

प्रार्थना पत्र दुरूस्त किये जाने नक्शा सर्वेसीट

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.11.2025

संक्षेप मे अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कोलिण्डा के खाता संख्या 331 के ख0न0 263 रकबा 7.49 है0 भूमि अवस्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 20 के ख0न0 138, 139, 139 / 659, 264, 265, 265 / 643 कुल किता 6 कुल रकबा 9.48 है0 भूमि अवस्थित है। खाता संख्या 20 के ख0न0 265 की नक्शा सर्वेसीट में तरमीम गलत हो रखी है उक्त ख0न0 265 की नक्शा सर्वेसीट में जमाबन्दी के अनुसार रकबा 4.88 है0 भूमि की तरमीम नहीं हो रखी है, रिकार्ड से अधिक भूमि की तरमीम हो रखी है। इसी प्रकार खाता संख्या 331 के ख0न0 263 की नक्शा सर्वेसीट में जमाबंदी के अनुसार रकबा नहीं है। उक्त ख0न0 263 का नक्शा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 36 / 2025
GCMS NO. 2025 / 176
करणीराम वगै0 बनाम झुथाराम वगै0
आदेश दिनांक 19.11.2025

रकबा 7.49 है0 से कम है। इस प्रकार प्रार्थीगण ख0न0 263 व 265 की नक्शा सीट को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोलिण्डा के ख0न0 263 व 265 को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार बिसाऊ से प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया गया।

तहसीलदार बिसाऊ ने अपने पत्रांक 1444 दिनांक 10.11.2025 से अपनी रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार बिसाऊ ने अपनी रिपोर्ट में मुताबिक भू.अ.निरीक्षक रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार ख0न0 265 में बिन्दु ए से बी तक तरमीम शुद्व किया जाना उचित बताया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा ख0न0 263 व 265 की तरमीम मुताबिक तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कोलिण्डा स्थित भूमि ख0न0 263 व 265 के नक्शे की तरमीम को दुरुस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार बिसाऊ ने अपनी रिपोर्ट में भू0अ0निरीक्षक की रिपोर्ट के सलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार ख0न0 265 में बिन्दु ए से बी तक तरमीम शुद्व किया जाता उचित बताया है। इस प्रकार तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोलिण्डा स्थित भूमि ख0न0 265 की नक्शा सीट को तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट में भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ सलंग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार बिन्दु ए से बी तक दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर